

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे III / 3471

दिनांक :- 26-06-2019

आदेश संख्या : 426/2019-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार कार्मिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स. (1)	लिक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1	12014	अरूण	सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, नागौर - 20180	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, परबतसर, नागौर - 23106	रिक्त पद पर
2	10141	कल्पेश कुमार मीणा	अधिकाधी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर - 7000096	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर - 1000353 (प्रतिनियुक्ति पर)	रिक्त पद पर
3	12110	रुचि राणावत	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सराडा, उदयपुर - 23582	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ - 3000366	रिक्त पद पर
4	11217	सुन्दर लाल	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामसर, बाड़मेर - 8287	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ - 22990	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 26.06.2019 के क्रम में जारी किये जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)1(6)अलेसे III / 3471

दिनांक :- 26-06-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- कोषाधिकारी.....
- श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय
को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)